

नोटिस

राजस्व प्रशिक्षण संस्थान में मैस संचालन हेतु मैस संचालक (ठेकेदार) दिनांक 13-01-2025 से दिनांक 31-12-2025 तक के लिए रखा जाएगा जिस बारे दिनांक 04-01-2025 को 11:30 बजे निम्न नियम व शर्तों के आधार पर खुली बोली रखी गई है, इच्छुक व्यक्ति उक्त तिथि को सवय संस्थान में पहुंच कर खुली बोली में भाग ले सकता है।

नियम व शर्तें:-

1. मैस के संचालन का ठेका दिनांक 13-01-2025 से दिनांक 31-12-2025 तक होगा।
2. मैस में सिगरेट, बीड़ी, गुटका व अन्य नशीली वस्तुओं का बेचना व प्रयोग में लाना मना है इस का उल्लंघन करने पर ठेका रद्द किया जा सकता है।
3. मैस कार्य दिवस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम एवम अन्य दिनों में खुली रहेगी।
4. मैस का निरीक्षण समिति के पदाधिकारियों द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
5. मैस में काम करने वाले कार्यकर्ता के कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए।
6. मैस के समस्त कर्मचारियों का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए तथा मैस ठेकेदार को मैस चलाने से पूर्व स्वास्थ्य विभाग में नियानुसार पंजीकरण करवा करके आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
7. मैस में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
8. मैस के ठेकेदार को जमानत के रूप में 15,000/- रुपये (पन्द्रह हजार रुपये) जमा करवाने होंगे इसके इलावा हर महीने कुल अदायगी का प्रतिशत (%) जो बोली में तय होगा किराए के रूप में दी हि० प्र० राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, अथितिय सहकारी सभा जोगिन्दर नगर को देने होंगे।
9. यदि बोलीदाता/ठेकेदार बिना किसी पूर्व सूचना के मैस को अनुबंध पर लिखित समय से पहले छोड़ता है तो उसकी मैस जमानत जब्त कर दी जाएगी।
10. अधोहस्ताक्षरी बिना कारण बताए बोली को रद्द कर सकता है।
11. मैस को सचरू रूप से चलाए रखने के लिए बोलीदाता आवश्यकता अनुसार स्टाफ रखने की व्यवस्था भी करेगा।
12. मैस की बोली 15 प्रतिशत (%) से शुरू होगी और अधिकतम 30 प्रतिशत (%) तक बोली जाएगी यदि अधिकतम बोली एक से अधिक बोली दाता द्वारा बोली जाएगी तो मैस का ठेका अधिकतम बोलीदाताओं के बिच में **DRAW** द्वारा दिया जाएगा।

अतिरिक्त निदेशक

राजस्व प्रशिक्षण संस्थान
जोगिन्दर नगर जिला मण्डी।

प्रतिलिपि:-

1. समस्त सार्वजनिक स्थानों में चसपा हेतु।
2. उपमण्डलाधिकारी (ना०) जोगिन्दर नगर व तहसील कार्यालय के सूचना पट पर चसपा हेतु।
3. बस स्टैंड में लगाने हेतु।
4. हि० प्र० राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिन्दर नगर के सूचना पट में लगाने व website में upload करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक

राजस्व प्रशिक्षण संस्थान
जोगिन्दर नगर जिला मण्डी।